संख्या- 27/2016/ 734 / 35-3-2016-1(39)/2015

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

जिलाधिकारी,
सिध्दार्थनगर।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 22 मार्च, 2016

विषय: वर्ष 2015-16 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुबन्धित डाटा इन्टी आपरेटर के मानदेय के भुगतान हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 501/ बा.ए./ 2015-।6 दिनांक 05 फरवरी, 2016 के सन्दर्भ मे मुझे यह की कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के आंकड़ो को एम.आई.एस.पर फीड करनें हेतु अनुबन्धित डाटा इन्टी आपरेटर के मानदेय के भुगतान हेतु रू.10219 (रू0 दस हजार दो सौ उन्नीस मात्र) की धनराशि निम्न शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर व्यय हेतु रखे जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है।

1. अवमुक्त धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा ।
2. यहा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/ स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य-योजना में सम्मिलित है ।
3. अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से एवं विलम्बतम् 31 मार्च, 2016 तक कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियाजन विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार,उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा। तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात तीन माह में अर्थात दिनांक 30 जून, 2016 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुये व्यय का महालेखाकार द्धारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
4. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को यथाशीध्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40 आयोजनागत-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूजीगंत परिव्यय-06-बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -04-समीक्षा,प्रशिक्षण एवं मूल्याकंन हेतु एकमुश्त व्यवस्था-42- अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 2 / 2015 बी-1-925 / दस-2015-231 /2015 दिनांक 30 मार्च,2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या- 27/2016 /734(1)/35-3-2016-1(39)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- मण्डलायुक्त, बस्ती मण्डल।
3- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखापरीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
4- निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन , लखनऊ ।
6- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7- कोषाधिकारी, सिध्दार्थनगर ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5 ।
9- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) बस्ती मण्डल।
10- अर्थ एवं संख्याधिकारी, सिध्दार्थनगर ।
11- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in